

**गृह मंत्रालय
पूर्वोत्तर प्रभाग

पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाएं

पूर्वोत्तर के दूरदराज क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर राज्यों में हेलीकॉप्टर सब्सिडी योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किफायती यात्री परिवहन, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को बचाकर निकालना और तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए निकासी आदि प्रदान करना भी है। गृह मंत्रालय यात्रियों से होने वाले किराए की वसूली अथवा वास्तविक परिचालन लागत का प्लैट 20%, जो भी अधिक हो, की कटौती के बाद परिचालन की कुल लागत का 75% व्यय वहन करता है। सब्सिडी सीमित रखने के प्रयोजनार्थ, इन राज्यों में चल रही हेलीकॉप्टर सेवा के लिए उड़ान के घंटों की वार्षिक सीमा नीचे दी गई सारणी के अनुसार निर्धारित की गई है:

उत्तर पूर्वी राज्य	हेलीकॉप्टर का प्रकार	प्रति वर्ष स्वीकृत उड़ान घंटों की संख्या
त्रिपुरा	डॉफिन	480
अरुणाचल प्रदेश	एमआई-172 (पहली)	960
	एमआई-172 (दूसरी)	1200
	बेल 412	1300
सिक्किम	बेल-407	1200
मेघालय	डॉफिन	1000
नगालैंड	बेल 412 (पहली)	1200
	बेल 412 (दूसरी)	
मिजोरम	डॉफिन	1200
मणिपुर	बेल 412	750

वित्त वर्ष 2015-16 से पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए जारी व्यय/निधियों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	जारी व्यय/निधि
2015-16	76.45
2016-17	86.00
2017-18	86.00
2018-19	90.00
2019-20	100.00
2020-21	72.50
2021-22	100.00
2022-23 (28.2.2023 तक)	96.56
